सोना देवी V/S लाभू देवी

28-7-22	अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6, 13 ता 19 उपस्थित। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र में जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 17–04–2018 के आधार पर मृतक अन्नी देवी के स्थान पर पक्षकार स्थापित करने के उपरान्त राजस्व वाद संख्या 20/2018 बउनवान लाभूदेवी बनाम रामकौरी आदि में प्रतिवादी संख्या 5 दर्ज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र जोकि धारा 53 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया था, में अपीलांट् का हक व हिस्सा निहित होते हुए भी आदेश जैर अपील के उपरान्त जारी विभाजन की डिक्री दिनांक 28–04–2022 में अपीलांट् को किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्रदान नहीं किया गया है। जिससे व्यथित होकर व अपने हक व हिस्से को का इन्द्राज उक्त डिक्री में करवाने हेतु अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 6, 13 ता 19 का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को आदेश जैर अपील पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 अंकित किया गया है, यदि वादग्रस्त भूमि के बाबत् जारी डिक्री में अपीलांट् का हक व हिस्सा नहीं दिखाया गया है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए डिक्री दिनांक 28–04–2022 में संशोधन करवाया जा सकता है। जिसके लिये पृथक से अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि के बाबत् रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17–04–2018 के आधार पर अन्नीदेवी के स्थान पर पक्षकार स्थापित करते हुए आदेश दिनांक 28–04–2022 में बतौर प्रतिवादी संख्या 5 सोनादेवी पत्नी पेमाराम स्थापित किया गया, परन्तु आदेश के अनुसरण में जारी डिक्री में अपीलांट् का हक व हिस्सा नहीं बताया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17–04–2018 जिसके माध्यम से मृतका अन्नी देवी के स्थान पर वसीयत के आधार पर पक्षकार स्थापित किया गया था। ऐसीस्थिति में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में अन्नी देवी के अधिकार अपीलांट्/प्रतिवादी संख्या 5 सोनादेवी पत्नी पेमाराम में समाहित हो चुके थे। अदालत मातहत इसी आधार पर आधार आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् को बतौर प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका अंकन आदेश जैर अपील के पृष्ठ संख्या 4 व बिन्दु संख्या 2 में अंकित भी किया गया है, परन्तु उक्त आदेश के अनुसरण में पारित डिक्री दिनांक 28–04–2022 में अपीलांट् का हक व हिस्सा दिखाया/खोला नहीं जाकर अपीलांट् को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया है कि यदि अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा निहित है तथा उसका अंकन अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट् अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए डिक्री में संशोधन करवाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को उनके समक्ष जैरकार वादपत्र में अन्नीदेवी के स्थान पर अपीलांट् सोनादेवी पत्नी पेमाराम को बतौर पक्षकार स्थापित किया गया है तथा इस आश्य का अंकन निर्णय के बिन्दु संख्या 2 में भी किया गया है, परन्तु उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् जारी डिक्री दिनांक 28–04–2022 में अपीलांट् का बतौर अन्नी देवी के वारिसान/वसीयतधारक के आधार पर हक व हिस्से के नाम का अंकन सहवन से छूटने का कथन अपीलांट द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् को निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए डिक्री दिनांक 28–04–2022 में संशोधन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

28/7/22

([illegible] चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर